



करार

यह करार एक पक्षकार के रूप में "मध्यप्रदेश के राज्यपाल" जिनकी ओर से कलेक्टर सागर, मध्यप्रदेश कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है जिसे अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उनके पद-उत्तरवर्ती और समनुदेशिनी भी सम्मिलित हैं) तथा दूसरे पक्षकार के रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी "बीना पावर सप्लाय कम्पनी लिमिटेड" जो कि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 2(4-ए) के अधीन एक उत्पादक कम्पनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय बिरला ग्राम, नागदा-456331 (मध्यप्रदेश) में स्थित है जिसकी ओर से कम्पनी के श्री अशोक शर्मा, जनरल मैनेजर (वित्त) आयु 39 वर्ष पुत्र श्री ओमकारमल शर्मा पता ई-7/726, अरेरा कॉलोनी, भोपाल 462016 कार्य कर रहे हैं (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "कम्पनी" कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिनी भी सम्मिलित हैं) के बीच दिनांक 11.02.99 को निष्पादित किया ।

2. यह कि मध्यप्रदेश शासन ने अपने पत्र क्रमांक एफ 12-62-95/ सात-9 दिनांक 18.9.96 सहपठित ज्ञापन क्रमांक-एफ12-62/95/सात-9 दिनांक-29 अगस्त 1997 से उक्त कम्पनी के लिये निम्न विवरणानुसार ग्राम खमउखेड़ी की 36.86 हे., ग्राम हिन्नोद की 181.53 हे., ग्राम सिरचौपी 197.53 हे., ग्राम जोध की 197.00 हे. तथा ग्राम बम्होरी दुर्जन की 3.55 हे. कुल 616.47 हे. निजी भूमि के भू-अर्जन की अनुमति प्रदान की थी । और इसी तारतम्य में दिनांक 8.8.97 को मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से कलेक्टर सागर तथा बीना पावर सप्लाय कम्पनी लिमिटेड की ओर से परमेश्वर लाल शर्मा सीनियर ज्वाइन्ट प्रेसीडेन्ट के द्वारा ग्राम खमउखेड़ी में स्थित 31.78 हे., हिन्नौद में स्थित 178.57 हे., सिरचौपी में स्थित 165.27 हे., जोध में स्थित 188.81 हे. तथा बम्होरी दुर्जन में स्थित 3.00 हे. भूमि कुल क्षेत्रफल 567.43 हे. के लिये करार किया था । तत्पश्चात् कम्पनी द्वारा भू-अर्जन अधिकारी बीना के कार्यालय में निम्न विवरण अनुसार ग्राम सिरचौपी की 0.47 हे., ग्राम जोध की 0.89 हे., ग्राम हिन्नौद की 0.32 हे. कुल क्षेत्रफल 1.68 हे. भूमि के अर्जन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा भू-अर्जन अधिकारी बीना ने उनके आदेश दिनांक 24.8.98 द्वारा उक्त भूमि का भू-अर्जन अधिनिर्णय आदेश पारित किया ।

क्रमांक 2558
दिनांक 8/12/98
पन्ना 50/-

बीना पावर सप्लाय कम्पनी लिमिटेड
मोपाल (म. प्र.)

करार
/ महप्रदेश शासन, कलेक्टर सागर
श्री कशोक शर्मा

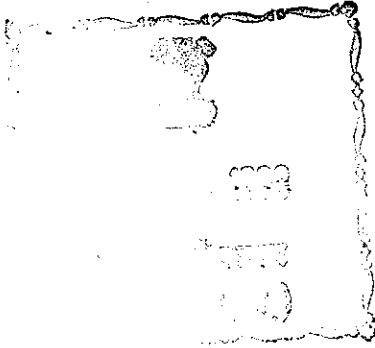
✓

11/12/98

बालगव कुमार जी

पुर्वांक विक्रेता

जिला कचहरी प्रांगण सागर
निवास 385, रामपुर सागर



3. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के अंतर्गत यह करार उभय पक्षों के बीच किया जाता है जिसमें पद क्रमांक 2 में संदर्भित करार 8.8.97 की शर्त क्रमांक 1 से 6 एवं 8 से 26 यथावत लागू होगी तथा शर्त क्रमांक 7 मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक - एफ 12-69/95/सात-9 भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 1998 के अनुपालन में संशोधन उपरान्त निम्नानुसार लागू होगी।

शर्तकण्डिका-2 "बिना राज्य शासन की पूर्वानुमति के कम्पनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा (भू-अर्जन अधिनियम की धारा 44-ए)"

4. इस करार को पूर्व में साक्ष्य स्वरूप दिनांक 8.8.97 को 567.43 हे. भू-अर्जन हेतु हुए करार (मध्यप्रदेश राज्यपत्र में प्रकाशित दिनांक 15.8.97) के तारतम्य में माना जावे।

5. इसके साक्ष्य स्वरूप इस पर लिखी तारीख को राज्यपाल की ओर से श्री प्रभाशु कमल, कलेक्टर, पता जिला सागर ने तथा कम्पनी की ओर से श्री अशोक शर्मा, जनरल मैनेजर (वित्त) पता ई-7/726 अरेरा कालोनी, भोपाल ने हस्ताक्षर कर दिया है।

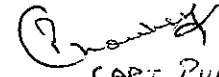
बीना पावर सप्लाय कंपनी लिमिटेड
की ओर से तथा उनके लिये

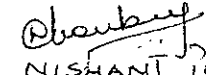
नाम : अशोक शर्मा
उपाधि : जनरल मैनेजर (वित्त)
स्थान : सागर
दिनांक : 11.2.99

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से
तथा उनके लिये

नाम : प्रभाशु कमल
उपाधि : कलेक्टर, सागर
स्थान : सागर
दिनांक : 11-2-99

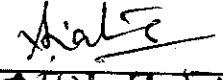
साक्षी

1. 
CAPT. PURASKAR CHOUBEY
DY. Manager
BINA POWER SUPPLY CO. LTD
BINA, SAGAR.

2. 
NISHANT PURASKAR CHOUBEY
22, M.T.G. PADMAKAR NAGAR
SAGAR - 470004

साक्षी

1. 
(संस्कार पाठेय)
Dy. Coll. Saugar

2. 
(शिकराम पटना)
डिप्टी कलेक्टर, सागर